

1

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : राम किशोरी देवी जनसेवा संस्थान
2. संस्था का पता : 10जे, लोहिया मार्ग, सिविल लाइन्स,
इलाहाबाद (उ०प्र०)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के उद्देश्य : स्मृति-पत्र के अनुसार।
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्गः

अ. आजीवन सदस्यः



संस्था को 1001/- रुपया नगद या इससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति दान स्वरूप सम्बन्ध करने वाले को आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

सामान्य सदस्यः

संस्था को प्रतिवर्ष अप्रैल माह में 101/- रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करने वाले को सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

सदस्यता की समाप्तिः

मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर, कोढ़ी होने पर, किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर, संस्था के नियमों का पालन न करने पर नियमानुसार सदस्यता शुल्क न अदा करने पर, लगातार तीन बैठकों में बिना किसी स्पष्टीकरण के अनुपस्थित रहने पर, त्याग पत्र रखीकार होने पर, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर, सदस्यता स्वयं समाप्त हो जायेगी।

6. संस्था के अंगः

~~संस्था के दो अंग होंगे-~~

~~अ. साधारण सभा व. प्रबन्धकारिणी समिति~~

*Naval's National Academy
Rapti Nagar, Gorakhpur*

7. साधारण सभाः

डॉक्टरी चिह्न

ए० ड० ओ० ए० / M.D.
प्राचीन विद्यालय न०१ / Kendriya Vidyalaya No. 1
वायु सेना स्कूल / Air Force School
गोरखपुर / Gorakhpur
उ०प्र० २०१०

R Singh

Principal
Dinapur Public School
Dinapur, Ghazipur (U.P.)

प्रीमनारायण सत्यसत्तिलिपि

Vineet सहाय्यक दैजिट्रोटर
सोसाइटी एवं फिल्म
गोरखपुर

प्रभानन्द
गोरखपुर

[Signature]
दीनापुर पब्लिक स्कूल
दीनापुर-गोरखपुर (उ०प्र०)

अ. गठन:

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

ब. बैठकें:

साधारण सभा की सामान्य बैठकें वर्ष में एक व विशेष बैठकों को आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाया जा सकता है।

स. गणपूर्ति:



साधारण सभा की सभी प्रकार बैठकों के लिए कुल सदस्य संख्या के $2/3$ की उपस्थिति अवश्यक होगी, किन्तु कोरम के अभाव में उपस्थित बैठकों को दो घण्टे बाद पुनः आहूत करने पर कोरम का प्रतिबन्ध न होगा, लेकिन एकाधिक के विषय पूर्ण ही रहेंगे।

द. विशेष व्याख्यिक अधिवेशन की तिथि:

1. पांच वर्ष के लिए प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
2. वार्षिक आय-व्यय, बजट को पारित करना।
3. नियमों व विनियमों में $2/3$ के बहुमत से संशोधन कार्यवाही करना।

8. प्रबन्धकारिणी समिति:

अ. गठन

W
एम.डी.ओ.जा./M.D.O.Jha
प्रभार्य/Principal A.P.T.
रायगढ़ विद्यालय नं.1/ Kandriya Vidyalaya No.1
द्वारा दिल्ली सरकार/ Air Force Station
गोरखपुर/Gorakhpur

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के सभी वर्ग के सदस्य मिलकर साधारण सभा के अधिवेश में चुनाव द्वारा बहुमत से करेंगे, जिनमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उप प्रबन्धक/उपसचिव एक कोषाध्यक्ष, एक आडीटर तथा पांच सदस्य होंगे। इस प्रकार कुल 11 पदाधिकारियों की प्रबन्धकारिणी समिति

ब. बैठकें: Principal
Dinapur Public School
Dinapur, Ghazipur (U.P.)

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक व विशेष बैठकें

द्वारा नियमित

S. Salini

Dinapur Public School
Dinapur, Ghazipur (U.P.)

R.Singh

प्रेमनारायण सरमाण विलिपि

Virendra Singh

महायक संजिसदार
कर्म सोसाइटी दरवा विलिपि

S. Salini
प्रबन्धकारिणी समिति
दीनापुर-गालीपुर (उपरोक्त)

आवश्यकतानुसार कभी भी बुलायी जा सकती है।

स. सूचनावधि:

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक सात दिन पूर्व विशेष बैठक को 24 घण्टे पूर्व सूचना देकर बुलायी जा सकती है।

द. गणपूर्ति:

प्रबन्धकारिणी समिति की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्य संख्या का $\frac{1}{3}$ की उपस्थिति आवश्यक होगी, किन्तु स्थानीय बैठकों पर कोरम का प्रतिबन्ध न होगा।

य. रिक्त स्थानों की प्रबन्धकारिणी समिति के रिक्त स्थानों की साधारण सभा की बैठक में चुनाव द्वारा बहुमत से शेष कार्य के लिए किया जायेगा।

र. कार्यकाल:

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

ल. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य:

1. संस्था का प्रबन्ध कार्य करना।
2. वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करना।
3. वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर उसको लागू करना।
4. संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण रखना।
5. उपसमितियों के उपनियमों को बनाना और उसके पदाधिकारियों को नियुक्त करना।

W

एम.डी.ओ.जे / M.D.O.J.A
प्राचीन प्राचीन / P.M.C.P.A.I
राज्य विभाग No.1 / Kendriya Vidyalaya No.1
गोरखपुर सेना चौक / Air Force Station
गोरखपुर / Gorakhpur

Principal
Dinapur Public School
Dinapur, Ghazipur (U.P.)

Dolini
Principal
Dinapur Public School
Dinapur, Ghazipur

झाँझी लिंग

उददेश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र स्तर के सरकार, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड खीदी गोपनीय परिषद, राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीकृत बैंकों, वित्त, वित्तीय, वाणिज्य, वाहन एवं नागरिकों से आर्थिक सहायता

P.P. Singh

प्रेमनारायण सरम्भ अधिकारी
सहायक संस्कारक संघ
दी.पी.यू.पी.

एवं अनुदान, चन्दा, दान, अमानतें,
चल-अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः

अध्यक्षः

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. प्रस्ताव आदि रखने की अनुमति प्रदान करना।
3. समय-समय पर संस्था के कार्यों का निरीक्षण करना।
4. समान मत होने पर अपने एक निर्णयिक समिति का प्रयोग करना।
5. बैठकों आदि की तिथियों का अनुमोदन व पर्वतन करना।
6. प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमोदित त्याग पत्रों को स्वीकार करना।
7. संस्था पर नियंत्रण रखते हुए उसके विकास हेतु प्रयास करना।

उपाध्यक्षः

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अथवा उसके द्वारा अधिकृत कार्यों को करना, समाप्ति रूप से उसका सहयोग करना।

प्रबन्धक / सचिवः

1. सभी प्रकार की बैठकों को संचालित करना।
2. बैठकों की कार्यवाहियों को लिपिबद्ध करना।
3. वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर प्रबन्ध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
4. वार्षिक बजट साधारण सभा द्वारा पारित करना।

DR. Dinesh Ojha
प्रबन्धक / PRINCIPAL
राज्य विद्यालय No.1
वायु सेना स्थान / Air Force Station
गोरखपुर / Gorakhpur

Ha
Principal
Dinapur Public School
Dinapur, Ghazipur (U.P.)

Dolini
Principal
Dinapur Public School
Dinapur, Ghazipur (U.P.)

V. V. Patel
प्रेमनारायण

Shashi Singh

DR Singh

Abdullah Ali
अब्दुल्लाह अली

Om Prakash

Prabandhak
प्रबन्धक

Ghazipur Public School
घोड़ागापुर पब्लिक स्कूल

Ghazipur - घोड़ागापुर (U.P.)

5. संस्था की ओर से सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना।
6. संस्था की ओर से समस्त बिलों एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
7. संस्था की ओर से समस्त कानूनी कार्यवाही का संचालन करना।
8. संस्था के मुख्य कार्यवाहक अधिकारी के रूप में कार्य करना।
9. उददेश्यों की पूर्ति हेतु ऋण, अनुदान, चन्दा आदि प्राप्त करना।
10. खादी, ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी आयोग के सम्मानानुसार संस्था का संचालन, प्रबन्ध कार्य करना।

अध्यक्ष की अनुमति से कर्मचारियों व कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निलम्बन व पदोन्नति वेतनवृद्धि वेतन वितरण एवं पदच्युत करना।

12. आवश्यकतानुसार 5000/- रुपये तक व्यय करना, अधिक धन के लिए प्रबन्ध समिति से अनुमोदन प्राप्त करना।
13. संस्था की समस्त चल, अंचल सम्पत्ति एवं अभिलेखों पर नियंत्रण करना।
14. प्रबन्ध समिति द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना।
15. संस्था के विकास हेतु सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करना।
16. वार्षिक आय-व्यय का विवरण तैयार प्रबन्धक दीनापुर एंडिलक स्कूल दीनापुर घासीपुर (ज़ोप्र०) करना।
17. आय-व्यय सम्बन्धी विवरण अभिलेखों का लिपिबद्ध करना।

SS
एम.डी.ओ.जे./M.D.O.P
प्राचल्य/Prachaly
ट्रैकर नं.01/Kendriya Vidyalaya
दीनापुर स्कूल/Air Force Station,
गोरखपुर/Gorakhpur

Principal
Dinapur Public School
Dinapur, Ghaziabad (11 P.)

Principal
Dinapur Public School
Dinapur, Ghaziabad (11 P.)

कल्पी सिंह
चूमनारायण

R.K.Singh *Virendra Singh*
इत्यर्थ इंजिनियर
सोसाइटी ट्रेनिंग सेंटर

18. सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर उन्हें उसकी रसीद देना।

उपप्रबन्धक / उपसचिव:

प्रबन्धक / सचिव की अनुपस्थिति में या उनके द्वारा दिये गये अधिकृत कार्य करना व उनके कार्यों में सहयोग करना।

कोषाध्यक्षः

कोष से सम्बन्धित विवरण रखना व रसीद, दान, चन्दा आदि से संबंधित रसीद काटना व रखना।

आडीटरः

वार्षिक रिपोर्ट पेश करना व आय-व्यय सम्बन्धित लेखा रखना व प्रबन्धक / सचिव की अनुमति से पेश करना।

10. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन परिवर्तन, परिवर्धन, साधारण सभा की बैठक में 2/3 के बहुमत से सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 12 व 4क के अनुसार किया जायेगा।

11. संस्था का कोष:

Mr. Deep Ojha / M.D. Ojha
प्राचीन प्रबन्धक / Principal
ट्रैनिंग सेंटर / Kendriya Vidyalaya Sangathan
गोरखपुर स्टेशन / Air Force Station
गोरखपुर / Gorakhpur

संस्था का समस्त कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा। धन का आहरण संस्था के प्रबन्धक / सचिव व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

12. संस्था का परीक्षण:

संस्था का समस्त आय-व्यय का लेखा प्रतिवर्ष दीनापुर पब्लिक स्कूल सेक्रेट्री की समाप्ति पर संस्था द्वारा नियुक्त योग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का दीनापुर पब्लिक स्कूल उत्तरदायित्वः

Principal
Dinapur Public School
Dinapur, Ghazipur
Uttar Pradesh - 221001

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध समस्त प्रकार के वाद-विवाद के निपटारे का न्याय क्षेत्र इलाहाबाद ही होगा तथा समस्त

SPRI Singh
मुख्यमानन्द
प्रियांका एस.पी.सिंह
प्रियांका सिंह

संस्कृतिभिरुप
संस्कृतिभिरुप
प्रियांका सिंह
प्रियांका सिंह

(7)

प्रकार की अदालती कार्यवाही का संचालन संस्था के प्रबन्धक / मंत्री करेंगे।

14. संस्थाके अभिलेख:

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. एजेण्डा रजिस्टर
4. कैश बुक
5. लेजर बुक
6. बाउचर फाइल व अन्य आवश्यक पत्रावलियाँ।

15. संस्था का दायित्व:

खादी तथा ग्रामोदयोग बोर्ड, खादी आयोग कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय तथा अन्य वित्तीय संस्था से जो भी आधिक सहायता ऋण प्राप्त करेगी उसके विषय में और ऋण दाता के पक्ष में संस्था अपनी या अपने सदस्य की अथवा अपने किसी एक सदस्य की अचल सम्पत्ति को निबन्धन अधिनियम की धारा-5(ए) के अनुसार सम्यक बंधक रहेगी।

शब्दांशु

एम डी० ओझा / M.D. Ojha
प्रभारी / Principal
दीनपुर निवाल नॉ1 / Kendrapur Nivihar No.1
दीनपुर रेल रुल / Air Force Station
गोरखपुर / Gorakhpur

Vineet

Principal
Dinapur Public School
Dinapur, Ghazipur (U.P.)

Vasant

Santosh Kumar Singh

पूर्णाराम

उत्तरदायित्व संस्था के प्रत्येक सदस्य का सामोहिता व्यवितरित होगा। यदि कोई सदस्य संस्था से त्यागपत्र दे देता है तो भी ऋण दीक्षित एवं विनियम संहृत अदायगी जिम्मेदारी उसकी अपनी तब तक रहेगी जब तक सम्पूर्ण ऋण की अदायगी का प्रमाण पत्र नहीं देगा।

UN - 2018

Salini

सरकारी विद्यालय

16. संस्था के अन्य नियम:

(8)

- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनु0जाति/अनु0जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित, रहेंगे और उनसे 70प्र0 माझी0प0/बे0शी0प0 द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एज्यूकेशनल नई दिल्ली/कौसिल फॉर दि होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त, अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- संस्था द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- विद्यालय के रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही यही रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत होगा।

17. संस्था का विघटन:

दिनांक:

Sanjay Singh / Principal
Dinapur Public School
Dinapur, Ghazipur

१८/१२/२०११

सत्य प्रतिलिपि/ /
नियमित संस्था का कार्यवाही यही रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत होगा।

हस्ताक्षर

दीनापुर प्राइवेट स्कूल
दीनापुर-घासीपुर (२०१०)

Vasant